रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940
No. 840] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(पशु कल्याण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1142(अ).—कतिपय नियमों, जिन्हें केन्द्र सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, के निम्नलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी प्रत्याशित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) नियम, 2018 पर उस तारीख, जिसको इस अधिसूचना को समाविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिनों की अवधि के समापन के बाद विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों संबंधी आक्षेपों या सुझावों को उप सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के नाम पते पर भेजा जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 में नियम 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"(ट) "सर्कस" से एक बड़ा सार्वजनिक मनोरंजन, आमतौर पर एक या एक से अधिक बड़े तंबू या आउटडोर या इनडोर क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पेजेंट्री की प्रदर्शनी, कौशल और साहस का कमाल, जानवरों का प्रदर्शन आदि शामिल हैं, अभिप्रेत है।"

3. करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2001 में नियम 13 के तहत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"13क. विनिर्दिष्ट करतबों के लिए पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर प्रतिषेध - किसी भी सर्कस अथवा चलायमान मनोरंजन सुविधा में किसी भी करतब या प्रदर्शन के लिए किसी भी पशु का उपयोग नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 11/4/2018-एडब्ल्यूडी]

मंजु पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : ये मूल नियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा का.आ. 267(अ), दिनांक 26 मार्च, 2001 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा का.आ. 35(अ), दिनांक 08 जनवरी, 2002 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Animal Welfare Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

G.S.R. 1142(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (*59 of 1960*), is hereby published, as required under subsection (1) of section 38 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Performing Animals (Registration) (Amendment) Rules, 2018 shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions to these draft rules may be addressed to the Deputy Secretary (Animal Welfare) to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Performing Animals (Registration) (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Performing Animals (Registration) Rules, 2001, in rule 2, the following shall be added:-

   "(k) "circus" means a large public entertainment, typically presented in one or more very large tents or in an outdoor or indoor arena, featuring exhibitions of pageantry, feats of skill and daring, performing animals, etc.".

3. In the Performing Animals (Registration) Rules, 2001, under rule 13, the following shall be added:-

   "13A. Prohibition on exhibiting and training of animals for specified performances– No animals shall be used for any performances or exhibition at any circus or mobile entertainment facility."

[F. No.11/4/2018-AWD]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide S.O. 267(E) dated the 26th March, 2001 by Ministry of Social Justice and Empowerment and was last amended vide Notification S.O.35(E) dated the 8th January, 2002 by Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.29 17:32:42 +05'30'